CNR No. UPME010088182026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण (V.B.U.P.S.E.B.), मेरठ

पीठासीन अधिकारी–अजय कुमार –I, (एच०जे०एस०) J.O. Code UP–6395

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–3041/2026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2461/2026

आजाद सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी– ग्राम रसूलपुर मढ़ी, थाना रोहटा, जिला मेरठ।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **..... अभियोजन पक्ष**

मुकदमा अपराध संख्या–113/2026
अन्तर्गत धारा–318(4),319(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2) बी०एन०एस०व 66 डी आई०टी० एक्ट
थाना–रोहटा, जिला मेरठ।

उपस्थित:– अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार शर्मा।
राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री डॉ संजीव कुमार गुप्ता।

दिनांक 10.07.2026

1. प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त आजाद सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–113/2026, अन्तर्गत धारा–318(4),319(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2) बी०एन०एस०व 66 डी आई०टी० एक्ट , थाना– रोहटा, जिला मेरठ के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत की याचना की गयी है। आवेदक/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र के साथ पैरोकार के रूप में श्याम सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार संक्षेप में अभियोजन मामला इस प्रकार है कि दिनांक 05.06.2026 को उप निरीक्षक विजय शुक्ला मय उ०नि० हरिओम सिंह के थाना हाजा से रपट संख्या 24 समय 08.16 बजे वास्ते वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन, रोकथाम जुर्म जरायम मे मामूर होकर अन्दर इलाका थाना क्षेत्र ग्राम मीरपुर बस स्टैण्ड पर पहुँचा तो समय करीब 15.00 बजे उ0नि0 श्री दुर्वेश डबास, है०का0 जयवर्धन सिंह, है०का0 सितम एस0टी0एफ0 यूनिट मेरठ मय है०का०/चालक विवेक मय गाडी सरकारी स्कार्पियो नम्बर UP32BG4553 के मय मुखबिर के मौजूद मिले। जिनके द्वारा इनको रोककर अपना परिचय देते हुये अवगत कराया कि कीर्तिमान जन–सेवा केन्द्र ग्राम मीरपुर का संचालक फर्जा आधार कार्ड बनाता है तथा उससे कुछ व्यक्ति आज बनवाये गये फर्जी आधार कार्ड लेने हेतू उसके जन– सेवा केन्द्र पर आये हुये है। इसके पश्चात पुलिस जन ने मुखबिर खास के बताये अनुसार मेरठ बडौत रोड पर स्थित कीर्तिमान जन–सेवा केन्द्र ग्राम मीरपुर के पास पहुँचे तो मुखबिर खास ने कीर्तिमान जन सेवा केन्द्र से करीब 20 मीटर पहले गाडी रूकवाकर नीचे उतरकर इशारा करके बताया कि सामने सड़क के दाहिनी तरफ कीर्तिमान जन सेवा केन्द्र है यही पर उसका संचालक व कुछ अन्य व्यक्ति बैठे है जो उससे बनवाये गये फर्जी आधार कार्ड लेने आये है और मुखबिर खास चला गया।

इसके उपरान्त उ0नि0 द्वारा सड़क पर आ जा रहे जनता के व्यक्तियों को मकसद बताकर गवाही हेतू कहा गया तो कोई भी व्यक्ति गवाही हेतू भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नही हुआ और मौके से अपना अपना जरूरी कार्य बताते हुये चले गये। तत्पश्चात पुलिस द्वारा एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी भी पुलिसजन के पास जुर्म सम्बन्धित कोई वस्तु नही है। इसके उपरान्त उ0नि0 मय उपरोक्त पुलिस बल के कीर्तिमान जन सेवा केन्द्र पर पहुंचे तो कीर्तिमान जन सेवा केन्द्र पर तीन व्यक्ति मौजूद मिले। जिनमें एक व्यक्ति कम्प्यूटर सिस्टम पर कुछ कार्य कर रहा था तथा दो व्यक्ति उसके पास बैंच पर बैठे थे। जिनमे से पहले व्यक्ति से उसका नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम आजाद पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर मढी थाना रोहटा जनपद मेरठ– मो0 नम्बर 9720017426 बताया जिसकी जामा तलाशी से पहनी पैंट की बायी जेब से एक मोबाइल Realme जिसके आईएमईआई नम्बर क्रमशः– 8657370747372778, 865737074737280 तथा शर्ट की बायी जेब से आधार कार्ड नम्बर 242324904894 व पैन कार्ड नम्बर CNXPS8850A तथा एक अन्य आधार कार्ड लक्ष्मीनारायण पुत्र देवी सिंह निवासी आयकर कालोनी मंगल पाण्डे नगर उत्तर प्रदेश आधार नम्बर 624481622729 व एक Government of India के नाम से जारी आईडी कार्ड जिसपर नाम अजय कुमार पुत्र जगवीर सिंह तथा आईडी कार्ड नम्बर 05369 अंकित है तथा बरामद सभी चारो कार्डों पर आजाद उपरोक्त की फोटो प्रिन्ट है एंव एक अन्य आधार कार्ड सुमित वर्मा पुत्र मनोज वर्मा निवासी मकान नम्बर 1850 गली नम्बर 98 जूर बाग त्री नगर ओमकार नगर नार्थ वैस्ट दिल्ली पिन कोड–110035, आधार नम्बर –623142962890 भी बरामद हुआ जिनके बारे में आजाद उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि मेरा सही नाम पता आजाद पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर मढी थाना रोहटा जनपद मेरठ है तथा मेरा आधार कार्ड नम्बर 242324904894 व पैन कार्ड नम्बर CNXPS8850A आरिजनल है जबकि अन्य आधार कार्ड लक्ष्मीनारायण पुत्र देवी सिंह निवासी आयकर कालोनी मंगल पाण्डे नगर उत्तर प्रदेश आधार नम्बर 624481622729 व एक Government of India के नाम से जारी आईडी कार्ड जिसपर नाम अजय कुमार पुत्र जगवीर सिंह तथा आईडी कार्ड नम्बर 05369 अंकित है वह मेरे परिचित राजीव कुमार पुत्र अज्ञात निवासी आनन्द हास्पिटल के पीछे थाना मेडीकल मेरठ द्वारा तैयार कराये गये है तथा सुमित वर्मा उपरोक्त के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाये जाने हेतू मेरे साथी ईश्वर पाल पुत्र गंगाशरण निवासी अछरौडा थाना परतापुर जिला मेरठ ने उसके नाम पते की डिटेल करीब सात आठ दिन पहले मेरे मोबाइल फोन पर अपने व्हाटसैप मोबाइल नम्बर से उपलब्ध करायी थी जो मैंने अपने परिचित रोहित उर्फ गोलू पुत्र संजय शर्मा निवासी मीरपुर थाना रोहटा जनपद मेरठ मो 0 नम्बर 8445983206 को उसके व्हाटसैप नम्बर पर भेज दी थी। जिसके द्वारा उपरोक्त सुमित वर्मा की डिटेल अपने परिचित सोनू कुमार संचालक कीर्तिमान जन सेवा केन्द्र मीरपुर को फर्जी आधार कार्ड बनवाये जाने हेतू उसके व्हाटसैप नम्बर पर भेजी थी तथा मुझे बताया था कि आपको उपरोक्त आधार कार्ड बनवाने के 1000/ रूपये मुझे देने होंगे जो मैं जन सेवा केन्द्र संचालक सोनू कुमार को दूंगा तुम दिनांक 05.06.2026 को सोनू कुमार से उपरोक्त आधार कार्ड ले लेना। आज मैं अपने साथी ईश्वरपाल के साथ सुमित वर्मा के नाम का फर्जी आधार कार्ड लेने जनसेवा केन्द्र कीर्तिमान मीरपुर आया था तथा यहाँ से मैंने सुमित वर्मा का आधार कार्ड सोनू कुमार से लेकर आपस में वार्ता कर ही रहा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया। इसके उपरान्त दूसरे व्यक्ति का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम ईश्वरपाल पुत्र गंगाशरण निवासी अछरौडा थाना परतापुर जिला मेरठ मो० नम्बर – 9997286871 बताया जिसकी जामा तलाशी से पहनी पैंट की बायी जेब से एक मोबाइल फोन Tecno जिसके आईएमईआई मम्बर क्रमशः – 353575360425437, 353575365712722 है बरामद हुआ जिससे पूछताछ की गयी तो बताया कि मेरे साथी आजाद उपरोक्त ने मुझे कुछ समय पहले बताया था कि यदि किसी भी व्यक्ति का फर्जी आधार कार्ड बनवाना होगा तो मुझे डिटेल उपलब्ध करा देना मै फर्जी आधार कार्ड तैयार

कर दूंगा। मुझे सुमित वर्मा पुत्र मनोज वर्मा निवासी मकान नम्बर 1850 गली नम्बर 98 जूर बाग त्री नगर ओमकार नगर नार्थ वैस्ट दिल्ली पिन कोड –110035 के नाम पते का एक फर्जी आधार कार्ड बनवाना था जिसके सम्बन्ध में डिटेल मैंने कुछ दिन पहले मैंने आजाद उपरोक्त को उसके व्हाटसैप नम्बर पर उपलब्ध करा दी थी। जिसको आजाद ने अपने परिचित रोहित उर्फ गोलू को उसके व्हाटसैप नम्बर पर भेज दिया था तथा वह डिटेल रोहित उर्फ गोलू ने कीर्तिमान जनसेवा केन्द्र के संचालक सोनू कुमार को उसके व्हाटसैप पर भेज दी थी। इसके बाद तीसरे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम सोनू कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी नियर अम्बेडकर गेट ग्राम रोहटा थाना रोहटा जनपद मेरठ मो0 9997575174 बताया जिसकी जामा तलाशी से पहनी पैंट की दाहिनी जेब से एक मोबाइल फोन Redmi जिसके आईएमईआई नम्बर क्रमशः – 866374070424801, 866374070424819 है बरामद हुआ, जिससे पूछताछ की गयी तो इसके द्वारा बताया गया कि मैं कीर्तिमान जनसेवा केन्द्र मीरपुर का संचालन करीब दो वर्ष पूर्व से कर रहा हूं। मुझे दिनांक 03.06.2026 को रोहित उर्फ गोलू उपरोक्त द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 8445983206 से मेरे मोबाइल नम्बर 9997575174 पर व्हाटसैप पर मुझे सुमित वर्मा पुत्र मनोज वर्मा के नाम पता मकान नम्बर 1850 गली नम्बर 98 जूर बाग त्री नगर ओमकार नगर नार्थ वैस्ट दिल्ली पिन कोड –110035 की डिटेल फर्जी आधार कार्ड बनाने हेतू भेजी थी तथा कहा था कि दिनांक 05.06.2026 को मेरे परिचित आजाद अपने साथी ईश्वरपाल के साथ उपरोक्त आधार कार्ड लेने आपके पास आयेगें आप उनको आधार कार्ड तैयार कर उपलब्ध करा देना। मैं आपको उसके एवज में 500 रूपये दे दूंगा। मैंने अपने कम्प्यूटर सिस्टम पर फोटोशोप पर सुमित वर्मा उपरोक्त के नाम पते का फर्जी आधार कार्ड तैयार करते समय किसी अन्जान व्यक्ति का फोटो लगाकर आधार नम्बर–623142962890 अंकित करते हुये एक फर्जी आधार कार्ड तैयार किया था। जो मैंने आज आजाद उपरोक्त को उपलब्ध करा दिया था उक्त फर्जी आधार कार्ड की डिटेल मेरे कम्प्यूटर सिस्टम की फोटोशप साफ्टवेयर में मौजूद है तत्पश्चात सोनू कुमार से उसके कम्प्यूटर सिस्टम को लगिन करवाकर फोटोशप साफ्टवेयर खुलवाकर चैक किया गया तो फोटोशप में सुमित वर्मा पुत्र मनोज वर्मा निवासी पता मकान नम्बर 1850 गली नम्बर 98 जूर बाग त्री नगर ओमकार नगर नार्थ वैस्ट दिल्ली पिन कोड –110035, जन्मतिथी 19.09.1996 आधार कार्ड नम्बर 623142962890 अंकित है जिसका एक प्रिंट सोनू कुमार के जनसेवा केन्द्र मे मौजूद प्रिन्टर से निकलवाया गया जिसपर सोनू कुमार के हस्ताक्षर कराये गये जो फर्द के साथ संलग्न है। उपरोक्त अभियुक्त आजाद द्वारा अपने परिचित राजीव कुमार के साथ मिलकर एक आपराधिक षडयंत्र के तहत लक्ष्मीनारायण नामक व्यक्ति के नाम का एक फर्जा आधार कार्ड व अजय कुमार नामक व्यक्ति के नाम का Government of India के नाम से फर्जी आईडी कार्ड बनवाया गया है तथा आजाद, ईश्वरपाल, रोहित उर्फ गोलू उपरोक्त द्वारा एक आपराधिक षडयंत्र के तहत सोनू कुमार से उसके कम्प्यूटर सिस्टम पर सुमित वर्मा नामक व्यक्ति के नाम से एक फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया गया है। उपरोक्त अभियुक्तगण का यह कृत्य जुर्म धारा 318(4) /319(2)/336(3)/338/340(2)/61(2) बी0 एन 0 एस 0 व 66 डी आईएक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त आजाद से बरामद 03 आधार कार्ड, एक आईडी कार्ड (Gov. of India), एक पैन कार्ड को एक सफेद कपड़े में बन्द करके सीकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा अभियुक्त आजाद से बरामद फोन Realme को एक सफेद कपड़े में रखकर सीकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा अभियुक्त ईश्वरपाल उपरोक्त के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन Tecno को एक अन्य सफेद कपड़े में रखकर सीकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा अभियुक्त सोनू उपरोक्त के कब्जे से बरामद फोन Redmi को एक अन्य सफेद कपड़े में रखकर सीकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया एंव अभियुक्त सोनू के जनसेवा केन्द्र से बरामद मनिटर (LG कम्पनी), की–बोर्ड (TVS कम्पनी), माऊस (ZEBRONICS कम्पनी), प्रिन्टर (brother कम्पनी) को एक सफेद कपड़े में रखकर

सीकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा कम्प्यूटर सिस्टम के सी0 पी0 यू0 (ZEBRONICS INSPIRE कम्पनी) को एक अलग कपड़े में रखकर सीकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। उक्त फर्द के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत इस जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, पुलिस द्वारा गुडवर्क प्राप्ति के उद्देश्य से झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध कारित नही किया है जैसा कि एफ०आई०आर० मे दर्शाया गया है। उपरोक्त केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट जनता के किसी पीडित व्यक्ति द्वारा नही लिखई गई है बल्कि पुलिस द्वारा लिखाई गई है। उपरोक्त केस की घटना का जनता का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई फर्जी व कूटरचित आधार कार्ड, या अन्य कोई दस्तावेज किसी भी व्यक्ति का नही बनाया है। पुलिस द्वारा जो फर्जी व कूटरचित आधार कार्ड प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी दर्शाये गये है उस बरामदगी मे जनता का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थी / अभियुक्त के कब्जे से दर्शाये गये फर्जी व कूटरचित कार्ड या अन्य किसी दस्तावेज का कही भी किसी भी विभाग मे कोई 'इस्तेमाल नही किया गया है और न ही प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त दस्तावेज से कोई लाभ प्राप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दर्शाये गये अपराध मे केवल पुलिस के समस्त कन्फैस स्टेटमेन्ट के अलावा अन्य कोई साक्ष्य नही है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सम्मानित किसान परिवार का सदस्य है पूर्व दोषसिद्ध या सजायाफ्ता नही है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी मान्य न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु सक्षम जामिनान देने को तैयार है।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

5. प्राथमिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त को कीर्तिमान जनसेवा केन्द्र मिहिरपुर में कथित घटना के समय मौजूद होना बताया गया है व उसके कब्जे से लक्ष्मीनारायण, अजय व सुमित वर्मा के नाम से फर्जी आधार कार्ड बरामद होना बताये गये है। अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर आधार कार्ड को फोटोशॉपिंग द्वारा एक कूटरचित दस्तावेज बनाया जाना कहा गया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया है कि आधार कार्ड की कूटरचना किये जाने से सम्बंधित अपराध धारा 337 बी०एन०एस० के अन्तर्गत दण्डनीय बनाया गया है जिसमें अधिकतम 7 वर्ष के कारावास की अवधि से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। प्रश्नगत प्रकरण में किसी मूल्यवान प्रतिभू की कूटरचना किये जाने का मामला प्रतीत नही होता है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 05.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध होना कहा गया है। थाने की आख्यानुसार आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास होना नही दर्शाया गया है।

उपरोक्त मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा बिना गुण–दोष पर विचार किए आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त आजाद सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 113/2026, अन्तर्गत धारा– 318(4),319(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2) बी०एन०एस०व 66 डी आई०टी० एक्ट , थाना– रोहटा, जिला मेरठ के प्रकरण में नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2461/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/– (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभूगण अवर न्यायालय की संतुष्टि अनुसार दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है।

1) आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद गवाहों को ना तो डरायेगा व घमकायेगा और ना ही गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव डालेगा।

2) आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के उपरान्त विवेचना में विवेचक द्वारा सहयोग करेगा। पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित होगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

3) इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक को प्रेषित की जाये।

दिनांकः 10.07.2026

(अजय कुमार –I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण
(V.B.U.P.S.E.B.), मेरठ।

Digitally signed by AJAY KUMAR
Date: 2026.07.10 16:16:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Meerut